Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from Khajuwala (012SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Govind Ram 45 Meghwalo ka Mohalla Pugal sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Govt. Polytechnic college, Bikaner Date- 11/12/2018

(RAMESH DEV) nstituenty Returning Officer (012) Khajuwala (012SC)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

खाजूवाला 012 एससी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि — श्री गोविंद राम 45, मेघवालों का मोहल्ला, पूगल जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान— राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर तारीख—11.12.2018

रमेश्राचिं। आप्तिस्य (रमेश्राचिं। न्यां बन क्षेत्र रिटर्सिम्प्रकाष्ट्रिस्स्य 1012) खाजूवाला (वेरिएरेससी)